न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
नगरपालिका निम्बाहेड़ा बनाम सरकार
प्रकरण संख्या - 147/2023 वाद
GCMS No. – 2023/507

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 147/2023 वाद
GCMS No. –2023/507

नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी।

–वादी

//बनाम//

राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी – अधिवक्ता वादी
2– पैरोकार सरकार – प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 18.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–बी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 441 रकबा 2.5800 हैक्टेयर जिसमें से गैर मु0 आबादी 2.0900 हैक्टेयर व चारागाह 0.1900 बारानी 0.3000 हैक्टेयर है जिसका खाता संख्या नया 337 व पुराना 1 है।

2. नगरपालिका की गैर मुमकिन आबादी व बारानी जमीन जो आबादी का हिस्सा 209/258 है जिसमें चारागाह 19/258 है जो आबादी भूमि और नगरपालिका की राज्य हित की भूमि है इसमें चारागाह भूमि वर्तमान में उत्तर के अन्तिम छोर पर है जिसके पड़ौस में आराजी नम्बर 262 व 263 है। दक्षिण में जो शेष आबादी भूमि है। इसी आराजियात का हिस्सा जहां नगर पालिका काबिज है और आबादी क्षेत्र है। मौके पर जो चरनोट छूटी है, उसे चरनोट का वादी बटवाड़ा करवाना चाहता है जिसे मौके पर कब्जे अनुसार बटवाड़ा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:43 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी एवं प्रतिवादी चरनोट भूमि के राज्य सरकार के भूमिधारी तहसीलदार कब्जा धारी होकर स्वामित्व माना जाता है जिनका राजस्व रेकार्ड में अलग नम्बर पर बटवाड़ा दर्ज कर लगान फंटावणी करे जिससे नगरपालिका जहां काबिज है उस आबादी भूमि पर सह खातेदार के रुप में चरनोट भूमि होने से पट्टे नहीं दे पा रही

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

है और न ही सही रुप में उपयोग कर पा रही है। मात्र कब्जा ही है इसलिये नगर पालिका को बटवाड़ा कराने का कानूनन हक अधिकार है। नगरपालिका का अलग खाते में दर्ज कर चरनोट को अलग बटवाड़ा कर अलग अलग खातेदार घोषित कराया जावें और नक्शे में अलग इन्द्राज किया जावें।

4. उक्त बटवाड़े से चरनोट भूमि पर किसी प्रकार का कोई परिर्वतन नहीं होगा और किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि बटवाड़ा नहीं किया जाता है तो नगरपालिका के आवश्यक कार्य में रुकावट आ रही है इसलिए बटवाड़ा व घोषणा कराया जाना आवश्यक है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है की नगरपालिका की गैर मुमकिन आबादी व बारानी जमीन जो आबादी का हिस्सा 209/258 है जिसमें चारागाह 19/258 है जो आबादी भूमि और नगरपालिका की राज्य हित की भूमि है इसमें चारागह भूमि वर्तमान में उत्तर के अन्तिम छोर पर है जिसके पड़ौस में आराजी नम्बर 262 व 263 है। दक्षिण में जो शेष आबादी भूमि है इसी आराजियात का हिस्सा जहां नगरपालिका का कब्जा है और आबादी क्षैत्र है। मौके पर जो चरनोट छूटी है, उस चरनोट भूमि का वादी बटवाड़ा करवाना चाहता है जिसे मौके पर कब्जे अनुसार बटवाड़ा कर, लगान की फंटावणी रेकार्ड में इन्द्राज कर इस आशय की डिक्री भी फरमाई जावे। अलग अलग खातेदार में घोषित कर अलग से खातेदारी की घोषणा करावे और इसी आशय की डिक्री फरमावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित जिन्होनें वर्तमान की मौके की स्थिति, रेकार्ड अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बटवाड़ा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2077–80 ग्राम ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–बी की खाता संख्या 337 की आराजी नम्बर 441 रकबा 2.5800 हैक्टैयर की प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी संवत् 2077–80 ग्राम ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–बी की खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 441 रकबा 2.5800 हैक्टैयर में आबादी हिस्सा 209/258 गे.मु. रकबा 2.0900 हैक्टेयर, चारागाह हिस्सा 19/258 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, नगरपालिका निम्बाहेड़ा राज्यहित हिस्सा 5/43 नगरपालिका (राज्य–हित) निम्बाहेड़ा रकबा 0.3000 हैक्टैयर बारानी दर्ज रेका[illegible]दग्रस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा द[illegible]जियात का मौके पर कब्जे अनुसार बटवाड़ा कर अपना हिस्सा अल[illegible]खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है। वादी को अपने हिस्से की [illegible] का कानूनन अधिकार है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

7. अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–बी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 337 की आराजी नम्बर 441 रकबा 2.5800 हैक्टेयर भूमि का बटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं वर्तमान की मौके की स्थिति एवं रेकार्ड अनुसार किया जावें। वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.08.2023 तक प्रस्तुत हो। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.08.2023 को प्रस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/23
रमेश सीरवी पुनडियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:43 IST
Reason: SelfAttested